

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा- माध्य/खेलकूद-4/35651/समर कैम्प/2018-19/155 दिनांक: 01/05/18

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक (नॉडल अधिकारी)

विषय: ग्रीष्मकाश में ग्रीष्मकालीन खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करने बाबत ।

गत सत्र की भाँति वर्ष 2018 के आगामी ग्रीष्मकाश में भी ग्रीष्मकालीन खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन प्रत्येक जिले में किया जाएगा जिसके लिए निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं :-

01. अपने जिले के एक लोकप्रिय विद्यालयी खेल (छात्र-छात्रा) के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किसी विद्यालय में करावे, जहाँ सभी प्रकार की समुचित व्यवस्था हो, उक्त प्रशिक्षण शिविर हेतु सम्मिलित किए जाने वाले खेल में खिलाड़ी छात्र-छात्राओं की संख्या नियमानुसार हो।
02. उक्त शिविर आयोजन हेतु समस्त व्यय प्रत्येक जिले की संग्रहित खेलकूद प्रतियोगिता शुल्क की 60 प्रतिशत राशि में से शिक्षा विभागीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताएँ, साहित्यिक, सांस्कृतिक प्रवृत्तियों आयोजन-नियमावली एवं मार्गदर्शिका 2005 के पृष्ठ 31-32 पैरा 12 एवं संशोधन आदेश क्रमांक: शिविरा /मा./ खेलकूद /निजी /35427/2005-06/133 दिनांक: 14.10.08 के अनुसार किया जाए, जिसके अंतर्गत शिविर हेतु निम्नानुसार प्रावधान सुनिश्चित किया जावे :-
(अ) खिलाड़ी के विद्यालय से शिविर आयोजक विद्यालय तक जाने-आने का रेल/बस का रियायती दर से किराया ।

(ब) दैनिक भत्ता 100 रुपये प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी (स्थानीय खिलाड़ियों सहित)

(स) गणवेश हेतु 200 रुपये प्रति खिलाड़ी

(द) उपकरण क्य हेतु खेल/खिलाड़ियों की संख्यानुसार अधिकतम 3000/- रुपये

(ए) विविध व्यय : आवश्यकतानुसार अधिकतम 1000/- रुपये

नोट :- उक्त समस्त प्रावधान खेलकूद प्रतियोगिता नियमावली 2005 में उल्लेखित समिति के निर्णयोपरांत किये जावे जिसका अंकेक्षण शिविर समाप्ति के पश्चात् आपके अधीनस्थ कार्यरत सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार द्वारा किया जावे ।

03. उक्त शिविर में जिले के संबंधित खेल के विद्यालयी राष्ट्रीय व राज्य स्तर के खिलाड़ियों को वरीयतानुसार सम्मिलित किया जाए।
04. उक्त शिविर में भाग लेने वाले खिलाड़ी 01.01.2018 को 18 वर्ष से कम आयु के एवं कक्षा 6 से 11 उत्तीर्ण तक के नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी हो ।
05. उक्त शिविर 15 दिवसीय हो तथा राजस्थान राज्य कीड़ा परिषद, जयपुर की ओर से आयोज्य प्रशिक्षण शिविर की तिथियों से भिन्न हो, इस हेतु जिला खेल अधिकारी से तालमेल रखते हुए शिविर की तिथियों का निर्धारण किया जाए ।

उक्त 15 दिवसीय ग्रीष्मकालीन खेलकूद प्रशिक्षण शिविर के अलावा किसी भी प्रकार के खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन न करवाया जावे ।

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर अपने जिले के ग्रीष्मकालीन खेलकूद प्रशिक्षण शिविर आयोजन की तिथियां, आयोजक विद्यालय व खेल आदि का निर्धारण कर दिनांक 11.05.2018 तक ईमेल आईडी sec.sportsbkn@yahoo.com, dd.sports.dse@rajasthan.gov.in पर प्रेषित करें। उक्त शिविर आयोजन के व्यय का अंकेक्षण करा लिये जाने का प्रमाण पत्र व शिविर संबंधी सम्पूर्ण प्रतिवेदन शिविर समाप्ति के सात दिवस में इस कार्यालय को प्रस्तुत करें ।

विशेष : यह सुनिश्चित करें कि उक्त प्रशिक्षण शिविर का आयोजन आवश्यक रूप से हो।

(नथमल डिलेल)

आई.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान बीकानेर

प्रतिलिपि:

1. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक) को प्रेषित कर लेख है कि वर्ष 2018 के ग्रीष्मकालीन खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन अपने परिक्षेत्र के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (नॉडल अधिकारी) द्वारा आगामी ग्रीष्मकाश में किया जाना सुनिश्चित कर अविलम्ब सूचित करें ।
3. रक्षित पत्रावली ।

उप निदेशक(खेलकूद)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर